

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच, बस्ती, सतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, रायबरेली, अम्बेडकरनगर
व फतेहपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: ५ सितम्बर, 2008

विषय—वित्तीय वर्ष 2008-09 में दैवी आपदा राहत कार्यो हेतु धनावटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आयुक्त बस्ती एवं दैवीपाटन मण्डल तथा
जिलाधिकारी, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर व फतेहपुर से प्राप्त धनावटन प्रस्ताव के क्रम में
मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में दैवी आपदा राहत कार्यो
हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार कुल रु० 18,30,00,000/- (रुपये अटठारह
करोड़ अस्सी लाख मात्र) की धनशाशि अग्रिम रूप जै आपके निर्वतन पर रखने की
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	जनपद का नाम	आवंटित धनशाशि
1.	बहराइच	1,00,00,000/-
2	बस्ती	2,00,00,000/-
3.	सतकबीरनगर	50,00,000/-
4.	सिद्धार्थनगर	5,15,00,000/-
5.	बाराबंकी	4,15,00,000/-
6.	रायबरेली	3,00,00,000/-
7.	अम्बेडकरनगर	1,00,00,000/-
8	फतेहपुर	2,00,00,000/-
	योग	18,30,00,000/-
		(रुपये अटठारह करोड़ अस्सी लाख मात्र)

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय आलू वित्तीय वर्ष 2008-09 के
आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 का अन्तर्गत लेखाशीषक "2245-प्राकृतिक
विपोत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-आपदा राहत निधि-४००-अन्य
व्यय-०३-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त घनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शासनादेश सख्त्या—जी.आई.—134/1—11—2007—46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस घनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस घनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु करापि न किया जाय। यदि राहत वितरण हेतु आवंटित घनराशि कम पड़े तो शेष बांचित घनराशि कोषागार नियम—27 के अन्तर्गत आहरित कर ली जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रभावित व्यक्तियों को देय सहायता प्रत्येक दशा में विलम्बतम 03 दिन के अन्दर वितरित हो जाय। कोषागार नियम—27 से आहरित घनराशि के आदेश की प्रति घनराशि के समायोजन, घनावंटन प्रस्ताव एवं आपदा राहत निधि से आवंटित तथा व्यय हुई घनराशि की सूचना सहित शासन को 10 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि कोषागार नियम—27 के अन्तर्गत घनराशि का आहरण एवं वितरण केवल दैवी आपदाओं जैसे—अग्निकाण्ड, मूकम्य, औलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़ फटने, बाढ़ बाढ़, सूखा, हिमस्खलन, कौट आकमण के फलस्वरूप घटित घटनाओं के लिये ही किया जायेगा। सामान्य दुर्घटनाओं— सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा—फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिये इस घनराशि का उपयोग करापि नहीं किया जायेगा।

4. उक्त घनराशि का व्यय प्रस्तर—3 में सदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 में निर्धारित मानवों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यवित को कई मदों में राहत अनुमन्य है तो सबको मिलाकर एक ही थेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश सख्त्या—4815/1—10—2007—14(45)/2003, दिनांक 08 दिसम्बर, 2007 के अनुसार दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले ₹0 1000/- से कम घनराशि का वितरण बियरर थेक के माध्यम से तथा ₹0 1000/- या इससे अधिक की घनराशि का वितरण एकाउन्ट प्रेडी थेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. उत्तर स्तीकृत घनराशि के उत्तर इस वित्तीय वर्ष से दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

6. राहत घनराशि का वितरण गावों में व्यापक प्रवार—प्रसार ये बाद पर्यावरीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन—प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। राहत की घनराशि की प्राप्ति एवं व्यवित की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रवाल के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे जमिलेख में रखा जाए। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए और ग्राम सभा की जगली खुली बैठक में इसे पढ़ कर सुनाया भी जाए।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में जाया है कि आवंटित घनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त घनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अत आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्वारण करना, तदनुसार विभागों को अन उपलब्ध कराना तथा इसका सदृप्योग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक साह की पांच तारीख तक

उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और महावार मासिक व्यय-विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.np.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें समाप्त हो तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुए वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाए।

9. लकड़ धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाए तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही भर्ती में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी० के० टण्डन)

राहत आयुक्त एवं सचिव,

संख्या-4131(1)/1-10-2008-12(71)/2008टी०री०-1, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आड्हिट) प्रथम, ८०५० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, बस्ती, देवीपाटन, फैजाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ८०५० लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, बहराइच, बस्ती, मंतकदीर्घनगर, सिल्हार्धनगर, दारबूकी, रायबरेली, अम्बेडकरनगर व फतेहपुर।
6. वित्त व्यय नियन्त्रण अनुमान-5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुमान-10/राजस्व अनुमान- 6/11/राहत वेबसाइट की उपयोग हेतु।
8. वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आङ्गा से

D.G.
(लक्ष्मी नारायण)
अनु सचिव